न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 273 सन 2021
अनवान :–

1. ओमप्रकाश पुत्र लादुराम जाति सुथार निवासी भुकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. शिवप्रकार पुत्र लादुराम जाति सुथार निवासी भुकरका तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. रामकुमार पुत्र नत्थुराम जाति सुथार निवासी भूकरका तहसील नोहर।
2. मोडूराम पुत्र नत्थूराम जाति सुथार निवासी भुकरका तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र कुमार जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 30/9/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 627/632 की कुल 4.8690हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण बहिब के खातदोर काश्तकार दर्ज है ।

रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 284/291 के खसरा न0 141 की 4.8690हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने काश्त एवं सिचाई की सूविधा के लिये आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया हुआ है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि दर्ज नही है वादीगण अपने बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बाहमी बटवारा के अनुवार वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1, 2 ने निवेदन किया की वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने काश्त एवं सिचाई की सुविधाा हेतु आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया हुआ है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 3 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 627/632 की कुल 4.8690हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण बहिब के खातदोर काश्तकार दर्ज है ।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 284/291 के खसरा न0 141 की 4.8690हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने काश्त एवं सिचाई की सूविधा के लिये आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया हुआ है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि दर्ज नही है वादीगण अपने बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 627/632 की कुल 4.8690हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण बहिब के खातदेार काश्तकार दर्ज है ।

रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 284/291 के खसरा न0 141 की 4.8690हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है।

वादीगण के कथनों को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 दोनो एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया हुआ है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है वादीगण के कथनों को स्वीकार करते हुए प्रतिवादी ने निवेदन किया की वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के सर्मथन में ईकबाल भी पेश किया गया है खातेदार काश्तकार काश्त सिचाई की सूविधा के लिये आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी न्यायोचित है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि वाद भूमि में से वादीगण के पास रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 284/291 के खसरा न0 141 की 4.8690हैक भूमि बहिब के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 627/632 के खसरा न0 141/1 की 4.8690हैक भूमि बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 30/9/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. ओमप्रकाश पुत्र लादुराम जाति सुथार निवासी भुकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. शिवप्रकार पुत्र लादुराम जाति सुथार निवासी भुकरका तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. रामकुमार पुत्र नत्थुराम जाति सुथार निवासी भूकरका तहसील नोहर।
2. मोडूराम पुत्र नत्थूराम जाति सुथार निवासी भुकरका तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 273 सन 2021 निर्णय दिनांक–

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि वाद भूमि में से वादीगण के पास रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 284/291 के खसरा न0 141 की 4.8690हैक भूमि बहिब के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 627/632 के खसरा न0 141/1 की 4.8690हैक भूमि बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/9/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सत्यमेव जयते